वित्त निर्देश 35/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 1263/वित्त/बजट-4/चार/2011 रायपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त कोषालय अधिकारी
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-अधिकारियों को शासकीय दूरभाष की सुविधा के संबंध में ।
संदर्भ:-वित्त विभाग का परिपत्र कमांक 1219/2009/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2009 (वित्त निर्देश कमांक-37/2009) ।

संदर्भित ज्ञापन द्वारा अधिकारियों को शासकीय दूरभाष की सुविधा के संबंध में व्यय की सीमा एवं दिशा-निर्देश जारी किये गये है । जिसके अनुसार प्रमुख सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष हेतु कार्यालय एवं निवास के दूरभाष की व्यय की सीमा कमशः ` 4500 एवं ` 2500 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है । निवास स्थित शासकीय दूरभाष की सीमा में ब्राडबैंड एवं मोबाईल फोन की सुविधा भी शामिल है ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि आवश्यक होने पर वर्तमान में जारी सुविधा के अलावा ब्राडबैंड सुविधा हेतु एक अतिरिक्त लैंडलाईन दूरभाष की सुविधा संदर्भित ज्ञापन में उल्लेखित प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के निवास पर उपलब्ध कराई जा सकती है । इस सुविधा हेतु ` 1000 प्रतिमाह की सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी तथा यह प्रथम दूरभाष की प्रतिपूर्ति सीमा के अतिरिक्त होगी ।

संदर्भित ज्ञापन में उल्लेखित शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी । यह निर्देश दिनांक 01.08.2011 से लागू होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.जे. खत्री)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

NayakD:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2011\Doc File\35.doc

पृ.क्रमांक 1264/वित्त/बजट-4/चार/2011 रायपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग